प्रेस नोट

दिनांक-08.03.2020

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

अमेठी पुलिस द्वारा कड़ी पैरवी करके हत्या के अभियुक्त को कड़ी सजा दिलाई गई

पुलिस अधीक्षक अमेठी डा0 ख्याति गर्ग के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दयाराम सरोज के पर्यवेक्षण में अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सुलतानपुर में प्रभावी पैरवी करके मु0अ0सं0 298/12 धारा 498ए/304बी/302 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में अभियुक्त राम प्रसाद मौर्या पुत्र रामकृपाल मौर्या नि0 डिहवा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी को माननीय न्यायालय ए0डी0जे0 प्रथम जनपद सुलतानपुर द्वारा दिनांक- 06.03.2020 को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरणः

वादी श्री राममूरत मौर्या पुत्र रामफेर मौर्या नि0 मठिहा मजरे सोनारीकला थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 03.06.2012 की तहरीर के आधार पर वादी की 24 वर्षीय पुत्री को अभियुक्त राम प्रसाद मौर्या पुत्र रामकृपाल मौर्या नि0 डिहवा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी द्वारा कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दिया गया । इस सूचना पर थाना संग्रामपुर पर मु0अ0सं0 298/12 धारा 498ए/304बी/302 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत होकर जिसमें क्षेत्राधिकारी अमेठी द्वारा ग्रहण करते हुए विवेचना जरिए आरोप पत्र संख्या ए-10 दिनांक 14.06.2012 को माननीय न्यायालय प्रषित की गई ।